1. ई-निविदा नं	**<u>निविदा संख्या: RBI/CAB PUNE/Estate/4/24-25/ET/514</u>**
2. कार्य का नाम :	**" आरबीआई के अधिकारियों के लिए मूल्यांकन टूल विकसित करने और डीसीडब्ल्यू आयोजित करने के प्रस्ताव के लिए आवेदन (आरएफपी) ".**
3. निविदा का तरीका :	ईप्रोक्योरमेंट सिस्टम- (www.mstcecommerce.com) के माध्यम से (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली)
4. एनआईटी की तिथि (पूर्ण निविदा के साथ) पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है- पोर्टल पर निविदा सक्रियण- सभी के लिए निविदा 'लाइव'	**अक्टूबर 11, 2024 से 17:00 बजे से**
5. बोली पूर्व बैठक की तिथि और स्थान	ऑफलाइन 04 नवंबर, 2024 पूर्वाह्न 11:00 बजे एस्टेट विभाग, सीएबी, पुणे में
6. काम की अनुमानित लागत :	**₹35** लाख (रुपये पैंतीस लाख मात्र)

<table>
<tr><td>7. बयाना धन जमा (EMD)</td><td>कार्य की अनुमानित लागत का 2% अर्थात ₹70,000/- (केवल सफल बोलीदाता से सत्तर हजार रुपये) भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएबी, पुणे के पक्ष में ईएमडी के रूप में दिए गए विवरण पर एनईएफटी के माध्यम से वितरित किया जाएगा:
<table>
<tr><td>Name of the Account Holder (as appearing in the Bank Account)</td><td>College of Agricultural Banking, Reserve Bank of India, Pune</td></tr>
<tr><td>Account Number</td><td>8614038</td></tr>
<tr><td>Type of Account (Savings, Current etc.)</td><td>Current</td></tr>
<tr><td>PAN Number</td><td>AAIFR5286M</td></tr>
<tr><td>Name of the Bank</td><td>Reserve Bank of India</td></tr>
<tr><td>Name of the Branch</td><td>CAB,PUNE</td></tr>
<tr><td>Address of the Bank</td><td>CAB, RBI, University Road, PUNE</td></tr>
<tr><td>NEFT/IFS Code</td><td>RBIS0PUPA01 (0 in the code represents ZERO)</td></tr>
<tr><td>Name of the Account</td><td>Sundry Deposit A/c-DAD</td></tr>
<tr><td>GST Number</td><td>27AAIFR5286M1ZG</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8. ईएमडी के लिए डीडी/बैंक गारंटी जमा करने की तिथि</td><td>₹70,000/- बोली प्रस्तुत करने के समय.</td></tr>
<tr><td>9. कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश की तारीख के दसवें दिन से कार्यों को पूरा करने के लिए अनुमत समय</td><td>90 दिन</td></tr>
<tr><td>10. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली की बोली शुरू होने की तारीख
https://www.mstcecommerce.com/eprocn</td><td>12 नवंबर, 2024 को 16:00 बजे से</td></tr>
<tr><td>11. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि</td><td>नवम्बर 19, 2024 तक 14:00 घंटे</td></tr>
<tr><td>12. भाग-I खोलने की तिथि और समय (अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)</td><td>नवम्बर 19, 2024 पर 15:00 घंटे</td></tr>
</table>

13. भाग-II खोलने की तिथि और समय (अर्थात वित्तीय बोली)	निविदा का भाग-II (मूल्य बोली) तकनीकी-बोली के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद बाद की तारीख को खोला जाएगा और इसकी सूचना योग्य बोलीदाताओं को दी जाएगी।
14. लेनदेन शुल्क	ई-खरीद में भागीदारी के लिए प्रभार का भुगतान मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड को एमएसटीसी गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा दी गई सलाह के अनुसार किया जाएगा।
15. पोर्टल से डाउनलोड के लिए निविदा शुल्क	शून्य

भारतीय रिज़र्व बैंक

मूल्यांकन टूल विकसित करने और डीसीडब्ल्यू आयोजित करने के प्रस्ताव के लिए आवेदन (आरएफपी)

खण्ड I

आरबीआई के अधिकारियों के लिए मूल्यांकन टूल विकसित करने और डीसीडब्ल्यू आयोजित करने के प्रस्ताव के लिए आवेदन (आरएफपी)

निविदा संख्या: RBI/CAB PUNE/Estate/4/24-25/ET/514

1. कृषि बैंकिंग कॉलेज, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे इसके बाद बैंक कहा गया है) बैंक के ग्रेड बी (सीधी भर्ती) अधिकारियों के लिए विकास केंद्र कार्यशालाएं (डीसीडब्ल्यू) आयोजित करने में बैंक के लिए मूल्यांकन उपकरण विकसित करने और सहायता करने के लिए पात्र बोलीदाताओं (परामर्श फर्मों/कंपनियों) से एकल चरण में गुणवत्ता-सह-लागत-आधारित चयन (क्यूसीबीएस) प्रणाली के तहत ई-मोड के माध्यम से बोली प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करता है।
2. ई-निविदा दस्तावेज एमएसटीसी की वेबसाइट अर्थात www.mstcecommerce.com पर अक्तूबर 11, 2024 को 17:00 में उपलब्ध होंगे। इस ई-निविदा को एमएसटीसी वेबसाइट अर्थात www.mstcecommerce.comके माध्यम से अनिवार्य रूप से ऑनलाइन भरने/जमा करने की आवश्यकता है। ई-निविदा दाखिल करने और जमा करने की समय सीमा नवंबर 19, 2024 को 14:00 बजे तक है। ई-निविदा नवंबर 19, 2024 को 15:00 बजे खोला जाएगा। विक्रेताओं द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर विस्तृत दिशा-निर्देशों का उल्लेख निविदा अनुसूची (एसओटी) का अनुसरण करते हुए अनुलग्नक-I में किया गया है।
3. आरएफपी में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

खण्ड I	-	प्रस्तावों के लिए आमंत्रण (आईएफपी)
खण्ड II	-	बोलीदाताओं को निर्देश (ITR)
खण्ड III	-	अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी)
खंड IV	-	तकनीकी प्रस्ताव (टीपी) - प्रारूपों के साथ
खण्ड V	-	कार्यक्षेत्र

5. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. बैंक से संपर्क व्यक्ति के लिए पत्राचार का पता और विवरण निम्नानुसार है:
पत्राचार के लिए पता:

प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिजर्व बैंक
विश्वविद्यालय रोड
पुणे- 411006

व्यक्ति से संपर्क करें:
श्रीमती पूजा शर्मा
सहायक महाप्रबंधक
शैक्षणिक अनुभाग
फोन: +91-20-25582343
ईमेल: cabacademic@rbi.org.in

खंड II: बोलीदाताओं को निर्देश (आईटीआर)

1. **परिभाषाएं**

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस आरएफपी में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अनुबंध के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

ए) **"लागू कानून"** का अर्थ है भारत में कानून या कोई अन्य माध्यम जो भारत में अधिकारों और कानूनी दायितों के निर्धारण के लिए निर्धारित नियमों का निकाय जिसे न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो और किसी भी अन्य टूल के रूप में जैसे उन्हें समय-समय पर जारी किया जाता हो और प्रभावी भी हों ।

बी) **"प्रस्ताव"** का अर्थ है बैंक द्वारा जारी आरएफपी के जवाब में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव।

सी) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ है प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय , भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे- 411006।

डी) **"समिति"** का अर्थ है तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित कोई भी समिति।

ई) "**अनुबंध**" का अर्थ है आरएफपी में निर्दिष्ट संपूर्ण दस्तावेज के साथ नियुक्ति के लिए पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध।

एफ़) **"दिन" का** अर्थ है कैलेंडर दिन।

जी) **"प्रभावी तारीख** " का अर्थ उस तारीख से है जिस पर अनुबंध लागू होता है और प्रभावी होता है।

एच) **"आईएफ़पी" का** अर्थ है प्रस्तावों के लिए आमंत्रण, आरएफ़पी के खंड I में निर्दिष्ट।

आई) "**आईटीआर" का** अर्थ है बोलीदाताओं के लिए निर्देश, जो आरएफ़पी की खंड II में निर्दिष्ट हैं।

जे) **"जीसीसी"** का अर्थ है अनुबंध की सामान्य शर्तें, जो आरएफपी की खंड III में निर्दिष्ट हैं।

के) **"कार्मिक"** का अर्थ है चयनित पार्टी द्वारा उपलब्ध कराए गए पेशेवर और सहायक कर्मचारी और जिन्हें कार्यभार और उसके किसी भाग को निष्पादित करने के लिए सेवाएं देने के लिए सौंपा गया।

एल) **"सेवाएं"** का अर्थ है बैंक के लिए चयनित इकाई द्वारा किया जाने वाला कार्य और बैंक द्वारा उन्हें दिए गए कार्यभार के अनुसरण में पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला अनुबंध।

2.परिचय

बैंक का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की खंड 3 के तहत किया गया है। इसके देश भर में कार्यालय हैं। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) बैंक और अन्य विनियमित संस्थाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1969 में बैंक द्वारा स्थापित एक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है।

3. सेवा आवश्यकताएँ

बैंक को मूल्यांकन टूल विकसित करने और सीएबी में ग्रेड 'बी' इन-पर्सन/फिजिकल मोड में अपने सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए डेव्ल्पमेंट सेंटर कार्यशाला (इसके बाद डीसीडब्ल्यू के रूप में संदर्भित) आयोजित करने में बैंक की सहायता करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक पात्र संस्था की सेवाओं की आवश्यकता है,:

3.1 असाइनमेंट के उद्देश्य

आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बैंक ने व्यवहार संबंधी दक्षताओं को अलग करने का एक सेट तैयार किया है जो विभिन्न लक्षित भूमिकाओं में बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं। अत: इस असाइनमेंट का उद्देश्य है:

ए) मूल्यांकन टूल विकसित करना और अपने सीधी भर्ती अधिकारियों की लक्षित भूमिका के लिए निर्मित दक्षताओं के मूल्यांकन और विकास के लिए बैंक में डीसीडब्ल्यू का आयोजन करना। डीसीडब्ल्यू को इन चिन्हित दक्षताओं के तुलना में प्रतिभागियों की योग्यता रूपरेखा उपलब्ध करनी है।

बी) अधिकारियों की पहचान की गई दक्षताओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, जो उनके लिए विकास कार्य योजना तैयार करने के लिए एक इनपुट के रूप में कार्य करेगा।

सी) उक्त रिपोर्ट में अधिकारियों की योग्यता प्रोफाइल, उन शक्तियों की सूची पर एक विस्तृत प्रस्तुति शामिल होनी चाहिए जिन्हें उन्हें बनाए रखने या विकसित करने की आवश्यकता है, और कमजोरियों को सुधारने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में व्यवहार संबंधी घटना साक्षात्कार (बीईआई) के दौरान चर्चा किए जाने वाले प्रमुख पहलुओं (डीसीडब्ल्यू टिप्पणियों के आधार पर) को भी इंगित करना चाहिए।

डी) बैंक के आंतरिक निर्धारकों के लिए एक मूल्यांकन और विकास केंद्र (एडीसी) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना जिसका उद्देश्य है:

- डीसीडबल्यू उपकरणों, तकनीकों और कार्यप्रणाली का गहन ज्ञान प्रदान करना
- व्यवहार रूप से एंकर्ड रेटिंग स्केल (बीएआरएस) और विभिन्न मूल्यांकन टूल (प्रभावी बीईआई आयोजित करने सहित) का उपयोग करके डीसीडब्ल्यू प्रतिभागियों का आकलन करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना

- विश्व स्तर पर अपनाई गई मूल्यांकन तकनीक- ORCE (निरीक्षण, रिकॉर्ड, वर्गीकृत, मूल्यांकन) का उपयोग करके डीसीडबल्यू प्रतिभागियों का आकलन करने में कौशल का निर्माण करना।
- प्रतिभागी (ओं) के मूल्यांकन विवरण को समेटने और योग्यता-वार और टूल-वार साक्ष्य और परिणाम बनाने की क्षमता का निर्माण करना, और प्रतिभागी (योग्यता रिपोर्ट) की सारांश रिपोर्ट बनाना
- डीसीडब्ल्यू के परिणाम पर प्रतिभागियों को विशिष्ट और वस्तुनिष्ठ वन-टू-वन फीडबैक प्रदान करने में मूल्यांकनकर्ताओं की मदद करना
- किसी दिए गए प्रतिभागी के लिए योग्यता-विशिष्ट कार्रवाई-उन्मुख व्यक्तिगत विकास योजना (IDP) तैयार करने में मूल्यांकनकर्ताओं की मदद करना

3.2 हितों का टकराव

बैंक की अपेक्षा है कि चयनित संस्था पेशेवर, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष सेवाएं प्रदान करे और हमेशा बैंक के हितों को सर्वोपरि रखे, अन्य असाइनमेंट / नौकरियों या उनके कॉर्पोरेट हितों के साथ टकराव से सख्ती से बचें और भविष्य के काम के लिए किसी भी विचार के बिना कार्य करें।

3.3 प्रस्तावों की वैधता

प्रस्ताव आरएफपी में निर्धारित प्रस्ताव खोलने की तारीख के बाद 90 (नब्बे) दिनों के लिए वैध रहेंगे। अल्प अवधि के लिए वैध प्रस्ताव को उत्तरदायी न होने के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है । बैंक प्रस्ताव वैधता के विस्तार के लिए बोलीदाताओं की सहमति मांग सकता है (लेकिन प्रस्तावों में किसी भी संशोधन के बिना)।

3.4 प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार

बैंक किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध देने से पहले किसी भी समय सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित बोलीदाता (ओं) के लिए कोई दायित्व नहीं है या प्रभावित बोलीदाता (ओं) को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं है।

3.5 धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार

बैंक को आवश्यकता है कि इस आरएफपी के माध्यम से चयनित इकाई को इस तरह के अनुबंध के प्रदर्शन और निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए।

इस नीति के अनुसरण में, बैंक:

ए) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए परिभाषित करता है, शर्तों को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

i. "**भ्रष्ट आचरण**" का अर्थ है अनुबंध निष्पादन में बैंक या परामर्शदाता (ओं) के किसी भी कर्मचारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्य की किसी भी चीज की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना।
ii. "**कपटपूर्ण व्यवहार**" का अर्थ है बैंक को खरीद प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की गलत प्रस्तुति, और इसमें बोलीदाताओं के बीच मिलीभगत का अभ्यास शामिल है (प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) कृत्रिम रूप से उच्च या गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर प्रस्ताव मूल्य स्थापित करने और बैंक को स्वतंत्र और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
iii. "**अनुचित व्यापार व्यवहार**" का अर्थ है बैंक द्वारा दिए गए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन या आदेश से भिन्न सेवाओं की आपूर्ति।
iv. **"प्रतिरोधक व्यवहार** " का अर्थ है अनुबंध के निष्पादन में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तियों या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।

बी) प्रस्ताव को प्रदान करने से अस्वीकार कर दिया जाएगा, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि अवार्ड के लिए अनुशंसित इकाई, बैंक द्वारा भ्रष्ट, धोखाधड़ी, **प्रतिरोधक व्यवहार** या अनुचित व्यापार **व्यवहार** में लगी हुई है।

सी) किसी भी इकाई को अयोग्य घोषित करेगा, या तो अनिश्चित काल के लिए या समय की एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, अनुबंध देने के लिए, यदि यह किसी भी समय निर्धारित करता है कि इकाई भ्रष्ट, धोखाधड़ी, जबरदस्त प्रथाओं या अनुचित व्यापार व्यवहार में लगी हुई है, या अनुबंध को निष्पादित करने में।

4. आरएफपी दस्तावेज के स्पष्टीकरण और संशोधन

4.1. आरएफपी स्पष्टीकरण

प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन के दौरान, बैंक अपने विवेक से, बोलीदाताओं से उनके प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। बोलीदाताओं को बैंक द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब देना अपेक्षित है।

4.2 आरएफपी में संशोधन

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, बैंक किसी भी कारण से आरएफपी को संशोधित कर सकता है। संशोधन, यदि कोई हों, वेबसाइट www.rbi.org.in पर अद्यतन किए जाएंगे और बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट की जांच करें।

5. परामर्शदाता के चयन के लिए प्रक्रिया

प्रस्तावों के लिए आवेदन (आरएफपी) का उद्देश्य बैंक को मूल्यांकन टूल विकसित करने और अपने अधिकारियों के लिए डीसीडब्ल्यू कार्यशालाएं आयोजित करने में सहायता करने के लिए एक इकाई की नियुक्ति करना है। इस अनुरोध हेतु अनुरोध के अनुपालन में प्राप्त प्रत्युत्तरों का मूल्यांकन इस दस्तावेज में विनिदष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा और बोलीदाताओं में से परामर्शदाता की नियुक्ति की जाएगी। सभी पात्र संस्थाओं को विस्तृत रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/विचारार्थ विषय (टीओआर)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के आधार पर समनुदेशन निष्पादित करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

6. पात्रता

ए) आरएफपी का जवाब देने के लिए यह आमंत्रण अनुबंध-II में तकनीकी मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार कम से कम 55 अंक प्राप्त करने वाली सभी पात्र परामर्श फर्मों/कंपनियों के लिए खुला है।

बी) परामर्शदाता को समनुदेशन के लिए प्रस्तावित मूल्यांकनकर्ताओं (कम से कम 6 व्यक्तियों) द्वारा निपटाए गए मूल्यांकन/विकास केन्द्र से संबंधित परामर्शी कार्यों की कुल संख्या की सूची भी प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें उनकी योग्यता और अनुभव से संबंधित विवरण भी होते हैं।

7. अयोग्यता

बैंक अपने विवेकाधिकार पर और प्रस्ताव के मूल्यांकन के दौरान किसी भी समय किसी भी बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि बोलीदाता के पास:

ए) जवाब देने की समय सीमा के बाद प्रस्ताव दस्तावेज प्रस्तुत किए;

बी) पात्रता आवश्यकताओं के प्रमाण में प्रस्तुत प्रपत्रों, बयानों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत प्रतिनिधित्व किया;

सी) एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो आवश्यक दस्तावेज के साथ नहीं है या गैर-उत्तरदायी है;

डी) जब पूछा गया तो उससे संबंधित स्पष्टीकरण प्रदान करने में विफल;

ई) भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रथाओं के लिए भारत सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अयोग्य घोषित या ब्लैकलिस्ट में डाला गया;

एफ़) मूल्य समायोजन/परिवर्तन प्रावधान के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

8. प्रस्ताव के लिए अनुरोध

परामर्शदाता से आरएफपी में दिए गए सभी अनुदेशों, दिशानिर्देशों, निबंधन एवं शर्तों तथा फार्मेटों की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। आरएफपी द्वारा अपेक्षित सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता या प्रस्ताव प्रस्तुत करना जो आरएफपी के सभी पहलुओं के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं है, परामर्शदाता के अपने जोखिम पर होगा और अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

9. पूर्व -प्रस्ताव प्रश्न

संभावित बोलीदाता, जिसे आरएफपी पर किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, उसे लिखित प्रश्न के रूप में (ईमेल द्वारा) बैंक को नवंबर 1, 2024 तक सूचित कर सकता है। बैंक की प्रतिक्रिया के साथ-साथ मांगे गए स्पष्टीकरण (प्रश्न के स्पष्टीकरण सहित) नवंबर 4, 2024 को सीएबी में बोली-पूर्व बैठक में प्रदान किए जाएंगे।

10. बयाना धन जमा (ईएमडी)/बोली प्रतिभूति
(i) बोलीदाताओं को खंड III में यथा विनिदष्ट तरीके से बयाना धनराशि जमा (ईएमडी)/बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
ii) एक निविदा, जो ईएमडी के साथ नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को अग्रिम राशि वापस कर दी जाएगी यदि उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है लेकिन बिना किसी ब्याज के।
(iii) सफल बोलीदाता द्वारा अदा की गई अग्रिम राशि निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर कार्य सौंपे जाने के बाद जारी की जाएगी। उक्त जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
11. प्रस्ताव तैयार करना

निविदादाता प्रस्ताव तैयार करने के दौरान निम्नलिखित संबंधित सूचना का अनुपालन करेंगे

ए) प्रस्ताव और सभी संबद्ध पत्राचार अंग्रेजी में किया जाएगा और निर्धारित प्रारूपों के अनुरूप होगा। कोई भी इंटरलाइन, इरेज़र या ओवर राइटिंग केवल तभी मान्य होगी जब वे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति द्वारा शुरू किए गए हों।

बी) प्रस्ताव को अमिट स्याही (यदि आवश्यक हो) में टाइप या लिखा जाएगा और बोलीदाता को अनुबंध से बांधने के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता या विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

सी) परामर्शदाताओं को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उसे संशोधित करने, प्रतिस्थापित करने या वापस लेने की अनुमति नहीं है।

12. प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण, प्राप्तियां और खोला जाना

परामर्शदाता एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा। तथापि, प्रस्ताव के मूल्यांकन के दौरान और संविदा की अवधि के दौरान मूल्यांकन समिति को तथ्यों को समझने के लिए संगत तरीके से समुचित सावधानी बरतने का अधिकार है।

12.1. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा

बोलीदाताओं से सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : नवंबर 19, 2024 (14.00 बजे)

12.2 खंड IV में दिए गए प्रस्ताव के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

12.2.1 फॉर्म I: प्रस्ताव फॉर्म

फॉर्म I में परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए कवरिंग लेटर।

12.2.2 फॉर्म II: प्रस्ताव - सामान्य जानकारी

बोलीदाता की सामान्य जानकारी जैसा कि फॉर्म II में निर्दिष्ट है।

कोई अन्य सहायक जानकारी जो प्रस्ताव के लिए प्रासंगिक है।

12.2.3 फॉर्म III: तकनीकी प्रस्ताव

- फॉर्म III में निर्दिष्ट तकनीकी प्रस्ताव।
- कोई अन्य सहायक जानकारी और दस्तावेज जो तकनीकी प्रस्ताव के लिए प्रासंगिक हैं।

13.1 तकनीकी बोली

तकनीकी मूल्यांकन: तकनीकी प्रस्ताव उन सभी संस्थाओं के लिए खोले जाएंगे जिन्होंने बोलियां प्रस्तुत की होंगी। तकनीकी मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले पैरामीटर और वेटेज अनुबंध II में दिए गए अनुसार होंगे।

13.2 वाणिज्यिक बोली

वाणिज्यिक बोली कुल नियत घटक और परिवर्तनीय घटक होगी जैसा कि नीचे दिया गया है:
ए) निश्चित घटक: डिजाइनिंग की लागत के लिए अनुमानित राशि:

1. डीसीडबल्यू मूल्यांकन टूल जैसा कि आरएफ़पी में निर्दिष्ट है,
2. व्यवहार संकेतकों सहित एक विस्तृत व्यवहार रूप से एंकर्ड रेटिंग स्केल (बीएआरएस),
3. एक डिवैलपमेंट सेंटर प्रशिक्षण मैनुअल, और
4. बैंक के 30 आंतरिक मूल्यांकनकर्ताओं (प्रत्येक 15 मूल्यांकनकर्ताओं के दो कार्यक्रम) के एक सेट के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता के पहले DCW के दौरान पैनलबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं को सहायता प्रदान करना।

बी) परिवर्तनीय घटक:
चयनित संस्था को बैंक द्वारा अपने अधिकारियों के लिए आयोजित डीसीडब्ल्यू के लिए एक योग्य मूल्यांकनकर्ता/ मूल्यांकनकर्ताओं की सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होगी, केवल आवश्यकता के आधार पर। यह अनुमान लगाया गया है कि बैंक को एक वर्ष में ऐसे 12 डीसीडब्ल्यू के लिए चयनित संस्था से योग्य मूल्यांकनकर्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है (वास्तविक संख्या भिन्न हो सकती है)। ऐसे प्रत्येक डीसीडब्ल्यू को बैंक परिसर में डीसीडब्ल्यू आयोजित करने के लिए तीन दिनों के लिए मूल्यांकनकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। ऐसे 12 डीसीडब्ल्यू के लिए, कुल 36 मूल्यांकनकर्ता दिवसों के उपयोग की परिकल्पना की गई है। इसमें यात्रा का समय आदि शामिल नहीं है। डीसीडब्ल्यू के दौरान, महाविद्यालय में मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आवास और बोर्डिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रा व्यय चयनित इकाई द्वारा वहन किया जाएगा और प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। आवश्यकता के आधार पर डीसीडब्ल्यू के लिए मूल्यांकनकर्ता/ मूल्यांकनकर्ताओं प्रदान करने की लागत 12 डीसीडब्ल्यू (36 मूल्यांकनकर्ता दिवस) के लिए दी जानी है।

वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन निश्चित घटक और परिवर्तनीय घटक के कुल योग पर आधारित होगा। वित्तीय उद्धरण भारतीय रुपये में होना चाहिए, और इसमें करों के अलावा प्रस्तावित सभी खर्च शामिल होने चाहिए।

13.3 वाणिज्यिक बोली मूल्यांकन:

वाणिज्यिक बोलियों पर केवल उन संस्थाओं के लिए विचार किया जाएगा जो तकनीकी मूल्यांकन में अधिकतम 100 अंकों में से न्यूनतम 55 अंक प्राप्त करते हैं। तकनीकी मूल्यांकन में 55 से कम स्कोर करने वाली किसी भी इकाई को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पात्र संस्थाओं में से सबसे कम वाणिज्यिक बोली (एल-1) वाले बोलीदाता को सफल घोषित किया जाएगा और अनुबंध प्रदान करने के लिए सिफारिश की जाएगी। सफल बोलीदाता की पहचान के बाद, बैंक आवश्यक अनुमोदन के लिए आंतरिक प्रक्रिया का पालन करेगा और उसके बाद, अनुबंध प्रदान करने की अधिसूचना के साथ आगे बढ़ेगा।

14. संविदा प्रदान किया जाना

संविदा प्रदान करने के प्रस्ताव की स्वीकृति पर, बैंक सफल बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित करेगा कि उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। बैंक और सफल बोलीदाता अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संशोधन को छोड़कर अनुबंध की अवधि में कोई बदलाव या संशोधन नहीं किया जाएगा। मसौदा अनुबंध फॉर्म IV के रूप में संलग्न है।

15. गोपनीयता

प्रस्तावों की जांच, स्पष्टीकरण और तुलना से संबंधित जानकारी किसी भी बोलीदाता या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी जो आधिकारिक तौर पर ऐसी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। प्रक्रिया से संबंधित गोपनीय जानकारी के किसी भी बोलीदाता द्वारा अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप प्रस्ताव की अस्वीकृति हो सकती है।

बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर परियोजना के निष्पादन के दौरान, परामर्शदाता और उसके कार्मिक किसी भी समय किसी भी व्यक्ति या संस्था को अनुबंध के दौरान प्राप्त किसी भी गोपनीय जानकारी को संप्रेषित नहीं करेंगे।

खंड III: अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

1. **आवेदन**

ये सामान्य शर्तें तब तक तक लागू होंगी जब तक अनुबंध के अन्य हिस्सों में प्रावधान उनके स्थान पर शामिल नहीं किए जाते हैं। आरएफपी या अनुबंध समझौते में किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, बैंक की व्याख्या अंतिम और परामर्शदाताओं पर बाध्यकारी होगी।

2. पार्टियों के बीच संबंध

इसमें उल्लिखित किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह मालिक और नौकर का या प्रधान और अभिकर्ता का संबंध है जैसा कि 'बैंक' और 'परामर्शदाता' के बीच है। इस अनुबंध के अधीन परामर्शदाता के पास परियोजना के तहत सेवाएं निष्पादित करने में अपने कर्मियों का पूरा प्रभार है। परामर्शदाता उनके द्वारा या उनकी ओर से की गई सेवाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

3. कार्य निष्पादन के मानक

परामर्शदाता सेवाओं का निष्पादन करेगा और अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को उचित परिश्रम, दक्षता और अर्थव्यवस्था के साथ आम तौर पर स्वीकृत पेशेवर मानकों और प्रथाओं के अनुसार पूरा करेगा। परामर्शदाता सदैव किसी भी मामले के संबंध में बैंक के निष्ठावान परामर्शदाता के रूप में इस अनुबंध से संबंधित कार्य करेगा । परामर्शदाता हमेशा तीसरे पक्ष के साथ किसी भी व्यवहार में बैंक के वैध हितों का समर्थन और बचाव करेगा। परामर्शदाता देश में प्रचलित सभी प्रावधानों/अधिनियमों/नियमों, कानूनों का पालन करेगा। परामर्शदाता आरएफपी में निर्धारित मानकों का समग्रता में अनुपालन करेगा।

4. लागू कानून

"लागू कानून" का अर्थ है भारत में कानून या कोई अन्य माध्यम जो भारत में अधिकारों और कानूनी दायितों के निर्धारण के लिए निर्धारित नियमों का निकाय जिसे न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उन्हें समय-समय पर जारी किया जाता हो और प्रभावी भी हों । अनुबंध की व्याख्या भारत संघ के कानूनों के अनुसार की जाएगी।

5. बौद्धिक संपदा अधिकार

अनुबंध के तहत कवर की गई कोई भी सेवा तीसरे पक्ष के किसी भी अधिकार के उल्लंघन में परामर्शदाता द्वारा बेची या निपटाई नहीं जाएगी, और विशेष रूप से, लेकिन पूर्वगामी की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, किसी भी पेटेंट अधिकार, ट्रेडमार्क या इसी तरह के अधिकार, या किसी भी शुल्क बंधक या ग्रहणाधिकार। परामर्शदाता बैंक को सभी कार्यों, लागतों, दावों, मांगों, खर्चों और देनदारियों से क्षतिपूर्ति करेगा, जो भी पूर्वोक्त के रूप में किसी भी वास्तविक या कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप और परामर्शदाता के खर्च पर, बैंक का बचाव किसी भी कार्यवाही के बचाव में किया जाएगा जो उस संबंध में लाया जा सकता है।

6. प्रशासन की भाषा

अनुबंध अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा जाएगा। अनुबंध का अंग्रेजी संस्करण इसकी व्याख्या को नियंत्रित करेगा। अनुबंध से संबंधित सभी पत्राचार और अन्य दस्तावेज, जो पार्टियों के बीच आदान-प्रदान किए जाते हैं, अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएंगे।

7. कार्य निष्पादन आकलन

यह आरएफपी बैंक के सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए मूल्यांकन टूल विकसित करने और डीसीडब्ल्यू आयोजित करने में बैंक की सहायता के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए है। यदि परियोजना के निष्पादन के दौरान, निम्नलिखित समस्याएं पाई गईं या देखी गईं, तो ऐसी प्रत्येक समस्या के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। भुगतान की जाने वाली राशि का 1% (अधिकतम 20% के अधीन) बैंक द्वारा लगाया जा सकता है, जो परियोजना विशिष्ट आरएफपी और संदर्भ की शर्तों का हिस्सा होगा:

ए) सुपुर्दगी की गुणवत्ता निशान तक नहीं है, (जब तक गुणवत्ता में अपेक्षित सीमा तक सुधार नहीं किया जाता है)

बी) डिलिवरेबल्स में देरी

सी) समय पर पर्याप्त और/या उपयुक्त रूप से योग्य संसाधन नहीं देना

डी) आवश्यकता पड़ने पर भी समर्पित आधार पर संसाधनों को शामिल नहीं करना

ई) ऐसे संसाधन सौंपना जो बैंक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं

एफ़) सीएबी के साथ विलंबित या अपर्याप्त बातचीत।

जी) यह कार्य या तो पूरा नहीं हुआ है अथवा अनुमोदित समय अनुसूची अथवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता के अनुसार संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हुआ है।

8. बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति

परियोजना के निष्पादन के दौरान गैर-निष्पादन के कारण बैंक द्वारा अनुबंध की समाप्ति

- परियोजना की समय-सीमा का पालन न करना
- कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है

9. विवादों का समाधान

यदि पार्टियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अनुबंध के तहत विवाद के समाधान के लिए दो तरीके होंगे।

9.1 सौहार्दपूर्ण करार

संविदा का निष्पादन संविदा के निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होता है, तथापि, कभी-कभी कार्य के दायरे, भुगतान के खंडों आदि सहित संविदा की किसी भी शर्त अथवा निबंधन की किसी व्याख्या के बारे में विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में अनुबंध का कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को विवाद की लिखित सूचना भेज सकता है। विवाद की सूचना प्राप्त करने वाला पक्ष नोटिस पर विचार करेगा और प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में इसका जवाब देगा। यदि वह पक्ष 30 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, या उस पक्ष की प्रतिक्रिया के बाद 60 दिनों के भीतर विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जा सकता है, तो जीसीसी का खंड 9.2 लागू होगा।

9.2 विवादों का समाधान

बैंक और परामर्शदाता के बीच उत्पन्न विवाद के मामले में, जिसका सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा नहीं किया गया है, परामर्शदाता बैंक से अनुरोध कर सकता है कि वह विवाद को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए भेजे। ऐसे विवादों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा। भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 इन मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू होगा। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान भारत में पुणे में होगा और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा और पार्टियों के बीच सभी दस्तावेजों और पत्राचार अंग्रेजी में होंगे। मध्यस्थों के बहुमत का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा. सभी

मध्यस्थता पुरस्कार लिखित रूप में होंगे और प्रदान करने के कारणों को बताएंगे. मध्यस्थों द्वारा निर्धारित मध्यस्थों के खर्च बैंक और परामर्शदाता द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे। हालांकि, तैयारी, प्रस्तुति के संबंध में प्रत्येक पार्टी द्वारा किए गए खर्च पार्टी द्वारा ही वहन किए जाएंगे।

10. कानूनी क्षेत्राधिकार

पक्षकारों के बीच सभी कानूनी विवाद केवल पुणे में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

11. भुगतान की शर्तें

बैंक स्रोत पर लागू करों की कटौती के बाद चयनित परामर्शदाता को सहमत व्यावसायिक शुल्क का भुगतान जारी करेगा, जिसके लिए बैंक द्वारा चुने गए / चयनित परामर्शदाता के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। नियत घटक के लिए भुगतान समनुदेशन के पूरा होने पर किया जाएगा ।
परिवर्तनीय घटक के लिए भुगतान तब किया जाएगा जब ऐसी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

12. बयाना धन जमा (ईएमडी)
एनईएफटी के रूप में ₹70,000/- का ईएमडी निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के कार्यालय में नियत तिथि 19.11.2024 को या उससे पहले और दोपहर 12:00 बजे तक मूल रूप में जमा किया जाएगा। ईएमडी को भारतीय रिज़र्व बैंक के खाते में 19.11.2024 को दोपहर 12:00 बजे या उससे पहले भी प्रेषित किया जा सकता है। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण अनुबंध VII के अनुसार हैं। लेनदेन संख्या और अन्य विवरणों को दर्शाने वाले प्रेषण का प्रमाण अन्य निविदा दस्तावेजों के साथ बैंक के अनुमोदित ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

एनईएफटी विवरण

ईएमडी के लिए ई-भुगतान करने के लिए बैंक खाते का विवरण
संस्थान का नाम: कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे पता (पूर्ण रूप से): कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी रोड, पुणे -411 016

1	Name of the Account Holder (as appearing in the Bank Account)	College of Agricultural Banking, Reserve Bank of India, Pune
2	**Account Number**	**8691632**
3	Type of Account (Savings, Current etc.)	Current
4	**PAN Number**	**AAIFR 5286M**
5	Name of the Bank	**Reserve Bank of India**
6	Name of the Branch	CAB,PUNE
7	Address of the Bank	CAB, RBI, University Road, PUNE

8	**NEFT/IFS Code**	**RBIS0PUPA01 (0 in the code represents ZERO)**
9	Name of the Account	**Sundry Deposit A/c-DAD**
10	GST Number	27AAIFR5286M1ZG

खंड IV: तकनीकी प्रस्ताव (टीपी) - प्रारूप

1. भारतीय रिज़र्व बैंक परामर्शदाताओं से एक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के लिए निर्धारण टूल विकसित करने और डीसीडब्ल्यू आयोजित करने में बैंक की सहायता करने के कार्य में शामिल होंगे।

2. मूल्यांकन टूल विकसित करने और डीसीडब्ल्यू आयोजित करने में बैंक की सहायता के लिए परामर्शदाताओं का चयन मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

प्रतिक्रिया प्रारूप

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए परामर्शदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्युत्तर प्रारूप निम्नलिखित हैं

क्र.सं.	फॉर्म	ब्यौरा
1	फॉर्म I	**प्रस्ताव फॉर्म** प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कवरिंग लेटर
2	फॉर्म II	सामान्य जानकारी
3	फॉर्म III	तकनीकी प्रस्ताव
4	फॉर्म IV	अनुबंध करार मसौदा अनुबंध करार

भारतीय रिज़र्व बैंक

मूल्यांकन टूल विकसित करने और डीसीडब्ल्यू आयोजित करने के प्रस्ताव के लिए आवेदन (आरएफपी)

ए. प्रस्ताव फॉर्म

बोलीदाताओं को फॉर्म I में कवरिंग पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह फॉर्म बोलीदाताओं के लेटर हेड पर होना चाहिए, जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

फॉर्म I: कवरिंग लेटर (कंसल्टेंट के लेटरहेड पर)

दिनांक :
तक
मुख्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिजर्व बैंक
विश्वविद्यालय रोड
पुणे- 411006

महोदय

विषय: मूल्यांकन टूल विकसित करने और डीसीडब्ल्यू के आयोजन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति का प्रस्ताव

1) आरएफपी के निर्देशों, नियमों और शर्तों की जांच करने और समझने के बाद, हम, अधोहस्ताक्षरी, उक्त आरएफपी के पूर्ण अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ असाइनमेंट करने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

2) हमने आरएफपी के प्रावधानों को पढ़ा है और पुष्टि करते हैं कि ये हमें स्वीकार्य हैं। हम आगे घोषणा करते हैं कि हमारे प्रस्ताव में पाई गई अतिरिक्त शर्तों, भिन्नताओं, विचलनों, यदि कोई हो, को प्रभावी नहीं किया जाएगा।

3) हम इस प्रस्ताव का पालन करने के लिए सहमत हैं, जिसमें यह पत्र, तकनीकी प्रस्ताव, विधिवत नोटरीकृत लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी और सभी अनुलग्नक शामिल हैं, आरएफपी में निर्धारित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए और अनुबंध वार्ता के परिणामस्वरूप संशोधन, और यह हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा और उस अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय आपके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

4) जब तक औपचारिक अंतिम अनुबंध तैयार नहीं किया जाता है और हमारे बीच निष्पादित किया जाता है, तब तक यह प्रस्ताव, प्रस्ताव की आपकी लिखित स्वीकृति और पुरस्कार की आपकी अधिसूचना के साथ, हमारे बीच एक बाध्यकारी अनुबंध करेगा।

5) हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि इस प्रस्ताव में दी गई सभी जानकारी और कथन सत्य हैं और स्वीकार करते हैं कि इसमें निहित कोई भी गलत व्याख्या हमारी अयोग्यता का कारण बन सकती है।

6) हम समझते हैं कि आप प्राप्त होने वाले किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

हस्ताक्षर -------

के पद पर .....

भारतीय रिज़र्व बैंक

मूल्यांकन टूल विकसित करने और डीसीडब्ल्यू आयोजित करने के प्रस्ताव के लिए आवेदन (आरएफपी)

के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत
और की ओर से.....
दिनांक ----------
स्थान------

बी. प्रस्ताव प्रारूप - सामान्य जानकारी

बोलीदाताओं को निम्नलिखित फॉर्म में अपना प्रोफाइल प्रस्तुत करना आवश्यक है:

फॉर्म II: सामान्य जानकारी

ए. पात्रता (कृपया निर्दिष्ट करें) क. फर्म/कंपनी;

बी. नाम

सी. संपर्क

ए. पता

बी. टेलीफ़ोन का नंबर

सी. फ़ैक्स

डी. मोबाइल

ई. ईमेल

एफ़. वेबसाइट

डी. कार्यालय के स्थान और पते

ए. भारतीय

बी. विदेशी

हस्ताक्षर ----------

की क्षमता में.....

के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत

और की ओर से.....

दिनांक ----------

स्थान ----------

सी. तकनीकी प्रस्ताव प्रारूप

बोलीदाताओं को अपने तकनीकी प्रस्ताव निम्नलिखित प्रपत्र में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:

फॉर्म III: कार्य संबंधी विवरण

बोलीदाताओं से निम्नलिखित प्रकार की जानकारी मांगी जाती है:

1) प्रस्तावित कार्यप्रणाली

प्रस्तावित दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली, डीसी और अंतिम रिपोर्ट के आयोजन के लिए टूल:

ए. डीसी के लिए उपकरणों/उपकरणों का डिजाइन
बी. अंतिम रिपोर्ट और व्यक्तिगत रिपोर्ट
सी. डीसी प्रशिक्षण पुस्तिका का डिजाइन
डी. बैंक के आंतरिक मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एडीसी प्रशिक्षण और/या प्रमाणन कार्यक्रम का आयोजन

[डीसी के आयोजन से संबंधित असाइनमेंट निष्पादित करने के लिए दृष्टिकोण, विधियों और माध्यमों का विवरण प्रदान करें]

2) मूल्यांकनकर्ताओं की प्रोफाइल (6 मूल्यांकनकर्ता)

टीम के मूल्यांकनकर्ताओं की प्रोफाइल जो असाइनमेंट / परियोजनाओं को निष्पादित करने में शामिल होंगे

प्रोफ़ाइल में प्रमुख लोगों/कोर सदस्यों के सारणीबद्ध रूप में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

ए) नाम
बी) अनुभव
सी) संगठन में शामिल होने की तिथि
डी) शैक्षिक पृष्ठभूमि
ई) प्रमाणनन

एफ़) पेशेवर/डोमेन अनुभव का सारांश
जी) महत्वपूर्ण उपलब्धि/एस

3) एसी/डीसी का विवरण

01 अप्रैल 2023 से 31 मई 2024 के दौरान आयोजित एसी/डीसी का विवरण।

तकनीकी मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए जानकारी अनुबंध IIII के अनुसार प्रारूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

हस्ताक्षर ----------

की क्षमता में.....

के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत

और की ओर से.....

दिनांक -----

स्थान -----

भारतीय रिज़र्व बैंक

मूल्यांकन टूल विकसित करने और डीसीडब्ल्यू आयोजित करने के प्रस्ताव के लिए आवेदन (आरएफपी)

फॉर्म IV:

अनुबंध करार

यह करार वर्ष 2024 के दिनांक – को ..... एक ओर भारतीय रिजर्व बैंक (जिसके इसके बाद "बैंक" कहा जायेगा) दूसरी ओर ..... (जिसे इसके बाद "परामर्शदाता" कहा जायेगा) के बीच किया गया है।

जबकि

ए) बैंक चाहता है कि पैनलबद्ध परामर्शदाता को भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के लिए मूल्यांकन टूल विकसित करने और डीसीडब्ल्यू आयोजित करने में बैंक की सहायता करने के लिए परियोजनाओं/असाइनमेंट को निष्पादित करना चाहिए।

बी) परामर्शदाता, बैंक को प्रतिनिधित्व करने के बाद कि उसके पास आवश्यक पेशेवर कौशल, और कार्मिक और तकनीकी संसाधन हैं, इस अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब यह करार इस प्रकार है:

1. इस समझौते में शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः आरएफपी में उन्हें सौंपे गए हैं।

2. मूल्यांकन टूल विकसित करने और विकास केंद्रों (डीसी) के आयोजन में बैंक की सहायता करने के लिए परामर्शदाताओं के चयन के लिए जारी किए गए प्रस्तावों के अनुरोध के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों को इस समझौते के हिस्से के रूप में बनाया और पढ़ा और समझा जाएगा:

ए) प्रस्तावों के लिए आमंत्रण

बी) बोलीदाताओं को निर्देश

सी) अनुबंध की सामान्य शर्तें

डी) प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दौरान परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत सभी प्रारूप और दस्तावेज

ई) प्रदान करने की अधिसूचना

एफ़) आरएफपी में वर्णित कार्य का दायरा

3. अनुबंध चयनित परामर्शदाता और बैंक द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से शुरू होगा।

4. परामर्शदाता की नियुक्ति 12 महीने के लिए वैध होगी और इसे बैंक के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 24 महीने तक या असाइनमेंट पूरा होने तक, जो भी बाद में हो, तक बढ़ाया जा सकता है।

5. बैंक की अपेक्षा है कि परामर्शदाताओं को पेशेवर, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष परामर्श देनी चाहिए और हमेशा बैंक के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए, अन्य कार्य / नौकरियों, डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं या अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों के साथ

टकराव से सख्ती से बचना चाहिए और भविष्य के काम के लिए किसी भी विचार के बिना कार्य करना चाहिए। परामर्शदाता को अपनी तकनीकी बोलियों के साथ गैर-संघर्ष का विवरण भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

6. बैंक और परामर्शदाता के पारस्परिक अधिकार और दायित्व अनुबंध में निर्धारित किए गए अनुसार होंगे, विशेष रूप से:

ए) परामर्शदाता अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं को पूरा करेगा; और

बी) बैंक वित्तीय बोली के अनुसार उद्धृत दरों के अनुसार और अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार बैंक की संतुष्टि के लिए सेवा के सफल समापन पर परामर्शदाता को भुगतान करेगा।

7. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 के अनुसार समझौते के संबंध में स्टांप शुल्क का भुगतान परामर्शदाता द्वारा किया जाएगा।

जिसके साक्षी में, पार्टियों ने इस अनुबंध को अपने संबंधित नामों में हस्ताक्षरित करने का कारण बना दिया है, जैसा कि ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष के रूप में किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए और उसकी ओर से [प्राधिकृत प्रतिनिधि]

के लिए और [परामर्शदाता का नाम] की ओर से

[अधिकृत प्रतिनिधि]

[नोट: यदि परामर्शदाता में एक से अधिक इकाई शामिल हैं, तो इन सभी संस्थाओं को हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में दिखाई देना चाहिए]

खंड V: कार्य का दायरा

ए. स्थान

डिजाइन प्रक्रिया के दौरान विचार-विमर्श, जब भी आवश्यक हो, सीएबी, पुणे या ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर उचित समझा जाएगा। बैंक के आंतरिक मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एडीसी प्रशिक्षण/प्रमाणनन कार्यक्रम सीएबी, पुणे या परामर्शदाता के नामित स्थल पर आयोजित किया जाएगा।

बी. एडीसी मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बैच आकार

बैच का आकार आम तौर पर 15 अधिकारियों का हो सकता है। हालांकि, प्रतिभागियों के लिए मूल्यांकनकर्ताओं का अनुपात किसी भी मामले में 1: 3 पर बनाए रखा जाना चाहिए।

सी. व्यापक गतिविधियाँ

असाइनमेंट में निम्नलिखित व्यापक गतिविधियां शामिल होंगी:

ए) परियोजना की शुरुआत और योजना: अनुमोदन के लिए बैंक को कार्य के निर्दिष्ट दायरे को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना योजना प्रस्तुत करना। बैंक आवश्यकता पड़ने पर सफल बोलीदाताओं को उसके द्वारा पहचानी गई दक्षताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

बी) बैंक की पहचान की गई दक्षताओं से परिचित होना: परामर्शदाता द्वारा सौंपे गए परियोजना कर्मियों को संरचित तरीके से बैंक की पहचान की गई दक्षताओं के अनुरूप और उन्मुख किया जाना है।

सी) बैंक के अपने मूल्यांकनकर्ताओं की भागीदारी: डीसी मॉड्यूल तैनात होने के बाद बैंक अपने स्वयं के अधिकारियों को मूल्यांकनकर्ता के रूप में काम करने के लिए नामित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परामर्शदाता प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता के प्रथम पुनरावृत्ति के दौरान पैनलबद्ध निर्धारकों को हैंडहोल्डिंग के लिए अपने मूल्यांकनकर्ताओं को तैनात करेगा।

डी. डीसी के लिए टूल

मूल्यांकन टूल नेतृत्व दक्षताओं के एक सेट को मापने के लिए डिज़ाइन किए जाने हैं। इन मूल्यांकन टूल में शामिल होना चाहिए:

1. इन-बास्केट व्यायाम: प्रत्येक के तीन रूपों के साथ संख्या में 10 (दस)
2. नेतृत्वहीन समूह अभ्यास- संख्या में 10 (दस)
3. नेता के नेतृत्व वाले समूह अभ्यास- संख्या में 10 (दस)
4. व्यवहार घटना साक्षात्कार (बीईआई) के तीन मूल्यांकनकर्ता-अनुकूल प्रारूपों का सेट: बीईआई का पूल
डीसीडब्ल्यू के दौरान मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न
5. डीसीडबल्यू व्यक्तिगत योग्यता रिपोर्ट टेम्पलेट: प्रतिभागी की योग्यता रिपोर्ट
विभिन्न नेतृत्व दक्षताओं में उसकी योग्यता रेटिंग पर प्रकाश डाला गया (सहित
समग्र रेटिंग) व्यवहार साक्ष्य के साथ जैसा कि डीसीडब्ल्यू और उनकी योग्यता-विशिष्ट निष्कर्षों के दौरान देखा गया है।
6. प्रबंधन खेल - संख्या में 3
7. रोल प्ले - संख्या में 3
8. कोई अन्य नया टूल जो परामर्श फर्म/कंपनी सुझाना पसंद कर सकती है

एफ़. टूल के चयन के लिए मानदंड

- डीसी के लिए डिज़ाइन किए गए टूल प्रत्येक योग्यता के तहत परिकल्पित विभिन्न व्यवहार संकेतकों (बीआई) को कैप्चर करने में सक्षम होना चाहिए।

- डीसी डिजाइन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक अभ्यास को परीक्षण की जाने वाली दक्षताओं में आवश्यक व्यवहार की अभिव्यक्ति के लिए मान्य किया जाएगा।

- रेटिंग के एकीकरण के उद्देश्य से प्रत्येक योग्यता को कम से कम 2 अलग-अलग उपकरणों द्वारा मापने योग्य होना चाहिए।
- विभिन्न उपकरणों को प्रशासित करने के लिए अलग-अलग मामलों को डिज़ाइन करने की आवश्यकता है।

- टूल सिद्ध वैधता और विश्वसनीयता के होने चाहिए। माप मानदंड और माप पैमाने का विवरण उपकरणों के साथ उपलब्ध होना चाहिए।

- उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में कई प्रकार होने चाहिए ताकि डीसी में दोहराव वाली सामग्री न हो।

- सभी व्यक्तियों को प्रत्येक दक्षता पर एक से अधिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा कवर किया जाना चाहिए।

- डीसी के अंत में, मूल्यांकनकर्ताओं के बीच योग्यता-वार टिप्पणियों और रेटिंग को एकीकृत किया जाएगा।

- परामर्शदाता विकास केंद्र अभ्यास के दौरान प्रतिभागियों के मूल्यांकन से संबंधित अंतिम टेम्पलेट्स का विवरण साझा करेगा, अर्थात टूल - योग्यता मैट्रिक्स, टूल - योग्यता वार मूल्यांकन पत्रक, स्कोरिंग के लिए कार्यप्रणाली, आदि। सफल बोलीदाता बैंक के प्रमुख परियोजना कर्मियों को उपायुक्तों के शुरू होने से पहले मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले संपूर्ण मूल्यांकन ढांचे की ओर भी उन्मुख करेगा।

जी. संरचना और वितरण

ए) परामर्शदाता बैंक द्वारा आंतरिक उपयोग के लिए डीसीडब्ल्यू हैंडबुक तैयार करेगा।

बी) डीसी आउटपुट (रिपोर्ट टेम्पलेट) संख्यात्मक प्रारूप के साथ-साथ मौखिक और वर्णनात्मक प्रारूप दोनों होगा जो अभ्यास और साइकोमेट्रिक परीक्षणों से टिप्पणियों को एकीकृत करेगा।

क्र सं	**गतिविधि**	**समय-सीमा**
1	परियोजना की योजना और प्रारम्भ	संविदा प्रदान की तारीख के 30 दिनों के भीतर
2	टूल डिजाइन, और व्यवहार संकेतकों के साथ मैनुअल और बीएआरएस की तैयारी	
3	इन-बास्केट अभ्यास की तैयारी	संविदा प्रदान करने की तारीख के 60 दिनों के भीतर
4	एडीसी मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण/प्रमाणन कार्यक्रम का संचालन	डीसीडब्ल्यू फ्रेमवर्क और डिजाइन किए गए उपकरणों की स्वीकृति के बाद जब भी बैंक द्वारा आवश्यक हो। हालांकि, बैंक कार्यक्रम के संचालन के लिए पांच दिन का नोटिस देगा।

अनुलग्नक ।
ऑनलाइन बोली जमा करने के निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

ई-निविदा की प्रक्रिया

पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है, जो नि:शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी/वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर लगाई जाएगी। विक्रेता के पास तृतीय श्रेणी का साइनिंग टाइप डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए आरबीआई/एमएसटीसी जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: तकनीकी/वित्तीय बोली को ऑनलाइन www.mstcecommerce.com/eprochome/rbiपर प्रस्तुत करना होगा

1. विक्रेताओं को खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है

www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट →पीएसयू/सरकारी विभाग→

आरबीआई लोगो का चयन करें- विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना→सबमिट करें।

2. विक्रेताओं को ईमेल के माध्यम से उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

आरबीआई और एमएसटीसी लिमिटेड का संपर्क विवरण

आरबीआई

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड)

हेल्पडेस्क – लैंडलाइन – 022 22870471/22886266

गूगल हैंगआउट आईडी- (टेक्स्ट चैट के लिए) - mstceproc@gmail.com

सिस्टम आवश्यकताएँ:

ए) विंडोज 7 या इसके बाद के संस्करण ऑपरेटिंग सिस्टम

बी) IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र।

सी) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर

डी) सिस्टम में नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाएगा

सामान्य सेटिंग्स

साइनर बॉक्स में डीएससी प्रकट होने के लिए " प्रोटेक्सन मोड" को अक्षम करने के लिए, निम्न सेटिंग्स की जाए:-

Tools => Internet Options =>Security => Disable protected Mode If enabled- i.e. Remove the tick from the tick box mentioning “Enable Protected Mode”.

अन्य सेटिंग

Tools => Internet Options => General => Click On Settings under “browsing history/ Delete Browsing History” => Temporary Internet Files => Activate “Every time I कृपया वेब पेज देखें ”.

सभी एक्टिव X कंट्रोल को सक्षम करने के लिए और disable ‘use pop up blocker’ under Tools → Internet Options → custom level (कृपया पेज़ www.mstcecommerce.com से IE सेटिंग्स एक बार रन करें)

तकनीकी/वित्तीय बोलियां www.mstcecommerce.com/eprochome/rbiपर ऑनलाइन जमा करनी होंगी। निविदाएं निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तारीख और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

निविदा में सभी प्रविष्टियों को बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और मूल्य बोली प्रारूपों में दर्ज किया जाना चाहिए।

लेनदेन शुल्क के लिए विशेष नोट

विक्रेता लॉगिन में "My Menu" के तहत " Transaction Fee Payment " लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जेनरेट करेगा। विक्रेता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि को उसमें परिवर्तन किए बिना प्रेषित करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को सिस्टम जेनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

लेनदेन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा ।

विक्रेता/बोलीदाता के पास लेन-देन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा का एक्सैस नहीं होगा।

नोट

ए) बोलीदाताओं को सलाह दिया जाता है कि वे प्रक्रिया के समापन समय से पहले अग्रिम रूप से लेनदेन शुल्क जमा कर दें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सके।

बी) अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान ही ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय वैध और अद्यतन है।

सी) विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

डी) इस निविदा के लिए नोटिस में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

ई-निविदा में बोली

ए) ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए विक्रेता (ओं) को लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। इस प्रक्रिया में तकनीकी/वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

बी) जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से केवल अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।

www.mstcecommerce.com → e-procurement →PSU/Government Departments → Login under RBI→My menu→ Auction Floor Manager→ live event →Selection of the live event.

सी) विक्रेता को जावा एप्लिकेशन को रन करने की अनुमति देनी चाहिए। यह कार्य बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरने होंगे और उन्हें सेव करना होगा। इसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं रन हुआ , तो विक्रेता तकनीकी बोली को सेव/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।

डी) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, फाइनेंशियल बिड लिंक ऐक्टिव हो जाता है और उसे भरा जाना चाहिए और फिर विक्रेता को अपनी वित्तीय बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सेव हो जाने के बाद, विक्रेता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

ई) विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए "अटैच डॉक बटन" का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

एफ़) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी स्वयं की आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

जी) पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान वेंडर एक-दूसरे से पूरी तरह गुमनाम रहेंगे।

एच) ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित तारीख और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

आई) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली माना जाएगा और आरबीआई द्वारा इसे स्वीकार करने से कार्य के निष्पादन के लिए आरबीआई और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगा।

जे) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

के) भारतीय रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

एल) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं है।

एम) किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना उसके द्वारा निविदा के लिए नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।

इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

महत्वपूर्ण निर्देश

एक. बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए एमएसटीसी वेबसाइट पर My Menu मेनू में ***Upload Documents*** लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। प्रत्येक दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए। एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, बोलीदाता उन्हें निविदा के सामने अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि निविदा से सम्बद्ध दस्तावेज एचआरएमडी, आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार, यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। आगे की सहायता के लिए बोलीदाता गाइड के तहत निर्देशों का पालन करें।

2. बोलीदाता(ओं) को सभी सूचना और पत्राचार केवल ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे जब तक कि सीएबी, आरबीआई, पुणे के साथ-साथ एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है। परामर्शदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (डीएससी) की वैधता सुनिश्चित करें। एक बोलीदाता को केवल एक वैध डीएससी के लिए पंजीकरण करना चाहिए।

3. आरबीआई। ऑनलाइन निविदा जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय RFP को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कृपया नोट करें कि अनुरोध पत्र में उल्लिखित एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट से आरएफपी/निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाले पार्टियों की सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है।

4. आरएफपी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

5. ई-निविदा में बोली

ए) बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर अग्रिम रूप से लॉग इन करना चाहिए ताकि समय पर बोली जमा करना सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी विलंब के लिए जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी।

बी) बोलीदाता (बोलीदाताओं) को ई-निविदा प्रक्रिया में भागीदारी के लिए एमएसटीसी लिमिटेड को आवश्यक गैर-वापसी योग्य लेनदेन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

सी) इस प्रक्रिया में तकनीकी के साथ-साथ वाणिज्यिक बोलियां प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाना शामिल है।

डी) केवल वे बोलीदाता जिन्होंने लेनदेन शुल्क का भुगतान किया है, वे अपनी तकनीकी जमा कर सकते हैं

www.mstcecommerce.com –e-procurement→ PSU/ Govt. Depts→RBI Login→ My menu→Auction Floor Manager→live event→Selection of live event→ Technical bid.

ई) बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड का अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए।

एफ़) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता पूरी तरह से गुमनामी सुनिश्चित करेंगे।

जी) ई-निविदा फ्लोर इस आरएफपी में निर्धारित अवधि के लिए खुला रहेगा।

एच) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान वैध डीएससी का उपयोग करके प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाताओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। बोलीदाता द्वारा की गई बोली और पीएमडी, एचआरएमडी, सीओ, आरबीआई द्वारा स्वीकार की गई बोली आरबीआई और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी। सफल बोलीदाता को परामर्शदाता के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

आई) डीएससी के बिना प्रस्तुत बोलियों को खारिज कर दिया जाएगा।

जे) बैंक के पास पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा को रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, इसके लिए कोई कारण बताए बिना और प्रभावित उत्तरदाता (ओं) के प्रति कोई दायित्व उठाए बिना या प्रभावित उत्तरदाता(ओं) को ऐसे निर्णय के आधार के बारे में सूचित करने का कोई दायित्व नहीं है।

के) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं है। बोली प्रस्तुत करना निविदा के नियमों और शर्तों की निहित स्वीकृति है। माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ्लोर में इंगित की गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा तल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

एल. चयनित बोलीदाता को इस निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार शासित किया जाएगा।

7. तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में बदलाव की अनुमति नहीं है।

8. एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbiपर निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार ऑनलाइन निविदा सख्ती से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9. बोलीदाताओं को आरएफपी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इस प्रकार अपलोड किए गए और आरएफपी के तहत आवश्यक नहीं किसी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

11. बोलीदाता (ओं) द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई सूचना असत्य पाई जाती है तो ऐसे चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अनुलग्नक II: तकनीकी मूल्यांकन मैट्रिक्स

क्रमांक	मानदंड	वांछनीय अंक	अंक प्रदान किए गए	अधिकतम अंक
1	अपने ग्राहकों के लिए एडीसी आयोजित करने में परामर्श फर्म/कंपनी का प्रासंगिक अनुभव (वर्षों में)			
	5 वर्ष से कम	5		20
	5-10 साल के बीच	10		
	10-15 साल के बीच	15		
	15 वर्ष से अधिक	20		
2	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में परामर्श फर्म/कंपनी का कारोबार			
	5 करोड़ से कम	5		10
	5 करोड़ और उससे अधिक	10		
3	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में परामर्श फर्म/कंपनी द्वारा आयोजित एडीसी प्रशिक्षण/प्रमाणन कार्यक्रमों की कुल संख्या			
	कोई नहीं	0		15
	1-3 के बीच	5		
	4-6 के बीच	10		
	6 से ऊपर	15		
4	एडीसी ग्राहकों की संख्या (ग्राहक जिनके लिए परामर्श फर्म / कंपनी ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में एडीसी आयोजित किया है)			
	10 से कम	5		20
	10-15 के बीच	10		
	15-20 के बीच	15		
	20 से अधिक	20		
5	एडीसी ग्राहकों का परियोजना मूल्य (ग्राहक जिनके लिए परामर्श फर्म / कंपनी ने एडीसी आयोजित किया है)। बोलीदाता के पास किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में एडीसी आयोजित करने के लिए कम से कम 3 ग्राहक होने चाहिए जिनका मूल्य 35 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए			
	3 से कम ग्राहक	0		20
	3-5 ग्राहकों के बीच	10		
	5 से अधिक ग्राहक	20		
6	असाइनमेंट के लिए परामर्शदाता द्वारा पहचाने गए परामर्श फर्म / कंपनी के कर्मचारियों का औसत प्रासंगिक अनुभव (न्यूनतम 3 कर्मचारियों की पहचान की जानी है)			
	5 वर्ष से कम	5		15
	5-8 वर्ष के बीच	10		
	8 वर्ष से अधिक	15		
कुल				100

अनुलग्नक III

तकनीकी मूल्यांकन के उद्देश्य से जानकारी की आपूर्ति के लिए प्रारूप

क्र.सं.	मानदंड	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी
1	असाइनमेंट के लिए परामर्शदाता द्वारा पहचाने गए कर्मचारियों का औसत अनुभव	
2	असाइनमेंट के लिए पहचाने गए परामर्शदाता के रॉल पर मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या	
3	परामर्शदाताद्वारा निष्पादित (ऑनलाइन सहित) एडीसी अनुबंधों की संख्या1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक (1 अप्रैल, 2021 से पहले हस्ताक्षरित अनुबंध, और इस अवधि के दौरान निष्पादित की गई परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा)	
4	परामर्शदाताद्वारा निष्पादित (ऑनलाइन सहित) एडीसी अनुबंधों की संख्या1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक (1 अप्रैल, 2022 से पहले हस्ताक्षरित अनुबंधों और इस अवधि के दौरान निष्पादित की गई परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा)	
5	परामर्शदाता द्वारा निष्पादित (ऑनलाइन सहित) एडीसी अनुबंधों की संख्या1 अप्रैल 2023 से 31 मई 2024 तक (1 अप्रैल, 2023 से पहले हस्ताक्षरित अनुबंधों और इस अवधि के दौरान निष्पादित की गई परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा)	
6	बोलीदाता द्वारा डेव्ल्प्मेंट सेंटर कार्यशाला पर विस्तृत लिखित योजना ए. डीसीडब्ल्यू के लिए उपकरणों उपकरणों का डिजाइन/ बीमैनुअल का डिजाइन/डीसीडब्ल्यू हैंडबुक . सी. एडीसी प्रशिक्षण और / या प्रमाणन कार्यक्रम का डिजाइन	

अनुलग्नक IV

परामर्शदाता के लिए वाणिज्यिक/वित्तीय कोटेशन

मद	राशि (रु.)
निश्चित घटक: सभी खर्चों सहित व्यावसायिक शुल्क	
-- परिवर्तनीय घटक: प्रति डीसीडब्ल्यू मूल्यांकनकर्ता की सेवाएं प्रदान करने की लागत ----/- * 12 = @	
उद्धृत कुल राशि # (उद्धृत राशि में कोई भी कर, (जो भी हो) शामिल नहीं है)	

@ दर तय करने और निविदा के मूल्यांकन के लिए। वास्तविक भुगतान उपयोग की गई सेवाओं पर आधारित होगा।

बोलीदाता रैंकिंग के निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।